पूर्वानुसार दि. 26.5.22 को पेश

26.5.22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने उप० सोनट

Not pressed
H.S. Jh

यह प्रार्थना पत्र नोटप्रेस के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया। मूल वाद भी निस्तारित किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र नोटप्रेस के आधार पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अखिलेश)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना